the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Miscellaneous Railway Expenditure'."

DEMAND No. 14—CONSTRUCTION OF NEW LINES

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Construction of New Lines'."

DEMAND No. 15—OPEN LINE WORKS—CAPITAL, DEPRECIATION RESERVE FUND AND DEVELOPMENT FUND

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Open Line Works—Capital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund'."

11.53 hrs.

DELHI MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): I beg to move:

"That the Bill to amend the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, be taken into consideration."

This Act was put on the statute-book as late as the end of 1962 or the beginning of 1963, and it came into force with effect from 1st April, 1963. Section 20 of this Act provides that the proceeds of the tax collected from motor vehicles under this Act, after deduction of the necessary expenditure on collection, be paid to the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee in an agreed proportion, to meet their expenses on the maintenance of roads etc. The basis of distribution has been that out of the proceeds from the registration fee and the taxes on motor vehicles, Government are entitled to retain such part of it as is required for meeting the expenditure on collection. Then, out of these two, that is, the fees and the tax, there is a ratable distribution so far as the costs of collection are concerned. Within the remainder, the basis of distribution is the surface area of motorable roads under the jurisdiction of the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee. However, we find that so far as the Cantonment Board is concerned, it does not get any share out of these proceeds. It is evident that they also have to maintain certain roads, and certain roads are under their jurisdiction.

The main purport of this Bill is to provide for a due share to the Delhi Cantonment Board also out of these proceeds. Clause 3 of this Bill aims at that.

Then, there is some need for clarification of a particular entry in the Schedule. I would refer to sub-item (h) in Part A of Schedule I in Item III. At present, the description of motor vehicles for purposes of taxation is as follows:

"Vehicles the registered laden weight of which exceeds 10 tonnes".

Then, in the next column, the entry reads thus:

"100 for every tonne or part thereof.".

The intention is that up to 10 tonnes, the tax is Rs. 700, and beyond 10 tonnes, when the weight exceeds 10 tonnes, for every extra tonne or part thereof, an additional sum of Rs. 100 is to be levied. This was not quite clear in the Act. Hence, we have sought to make it clear through an amendment in this Bill.

I should like to submit that both these amendments, the amendment to section 20 and the amendment to the sub-item (b) of item III in Part. A of Schedule are necessary with a view to provide for a due share to the Delhi Cantonment Board out of the proceeds of the taxes collected, for maintenance of roads, and for providing a clarification, as indicated above, respectively. These are the two main purposes. I think that this measure is a non-controversial one, and I hope the House will give its approval to it.

Mr. Speaker: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, be taken into consideration."

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मंत्री महोदय लाये हैं यह बहुत सुन्दर है । मैं समझता हूं कि इस में यह खयाल छोड़ दिया गया है कि जब तक मोटर वीहिकल्ज के लिए सड़कों का इंतजाम करने की कोई जिम्मेवारी न ले तब तक चाहे दिल्ली नगर निगम हो या नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी हो या कंटोंनमेंट बोर्ड हो किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह इतनी बड़ी राशि उन का लोगों से इकट्ठी करता रहे। एक तो सब से बड़ी ज्यादती उनके साथ यह है कि उनका कोई रिप्रिजेंटेशन यहां नहीं है । राजस्थान जहां से हमारे मिनिस्टर साहब आते हैं वहां जयपुर की ट्रांसपोर्ट कम्पनी है और वह जानते होंगे कि राजस्थान वाले आज पचास परसेंट अपनी इनकम का नेशनल डिफेंस फंड में दे रहे हैं । लेकिन उन के लिए कोई इंतजाम नहीं है । यह एक कायदा है "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रिजेंटेशन" । उनकी कोई कंस्टिट्युएंसी नहीं है, कोई उनका रिप्रिजेंटेशन नहीं है लेकिन फिर भी उन से इतने टैक्स लिये जा रहे हैं । मेरी प्रार्थना यह है कि चाहे नगर निगम हो या नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी हो या कंटोनमेंट बोर्ड हो उनको यह कहा जाए कि सड़कों का, अच्छी सड़कों का इंतजाम वे सबसे पहले करें। आज सड़क बनती है लेकिन दूसरे ही दिन टूटने लग जाती हैं, पुलिया बनती हैं, टूट जाती हैं। एक पुलिया है जिसको बनते बनते पांच साल हो गए हैं लेकिन अभी तक बनी नहीं है । जब हम सब्जी मंडी से आगे निकलते हैं, वहां एक पुलिया को बनते बनते पांच वर्ष से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक वह बन नहीं सकी है । लेकिन इसके बावजूद भी टैक्स पूरा का पूरा लिया जा रहा है । मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि सबसे पहले अच्छी सड़कों का इंतजाम होना चाहिये उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनका रिप्रिजेंटेशन चाहे लोक सभा में या राज्य सभा में होना चाहिये । एक सीट उनके लिए भी होनी चाहिये । उस के बाद ही यह प्राविजन किया जाए कि कंटोन मेंट बोर्ड का भी इसमें शेयर हो, उसको भी इसका हिस्सा मिले । आज जो ट्रांसपोर्ट की खराब हालत है, कम्युनिकेशन की जो खराब हालत है सड़कों की जो खराब हालत है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिये । रिंग रोड इस कद्र खराब है कि वहां पर अगर कोई चलता है तो वह कहने लग जाता है कि शायद वह किसी ऐसे देश में में आ गया है जहां न कोई इंजीनियर है और न पी० डब्ल्यू० डी० है । और न कोई दूसरी चीज है । इसके पहले कि टैक्स में उनको शेयर दिया जाए मैं समझता हूं कि सड़कों का इंतजाम किया जाना चाहिए और अगर नगर निगम, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी आदि सड़कों का इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो सरकार इसे अपने हाथ में ले, सैंट्रल गवर्नमेंट इसका इन्तजाम करे ।

यह बिल बहुत सुन्दर है, और इस सुन्दर बिल के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, उनकी दिक्कतों का भी खयाल रखा जाना चाहिये ।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करोल बाग): अध्यक्ष महोदय, जो छोटा सा बिल आया है, यह बहुत ही साधारण है और इस में इतना ही है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को जो अंशदान मिला करता था, कंटोनमेंट बोर्ड जो है, उसको भी उस में हिस्सा मिले । मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट आथोरिटी यह टैक्स वसूल करती है । उस के बाद अपना खर्च निकाल कर यह राशि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, कैन्टोनमेंट बोर्ड को आगे से दे दिया करेगा । किन्तु जिस उद्देश्य के लिये यह पैसा दिया जाता है उसकी मैं देखता हूं कि पूर्ति नहीं हुई । जब हम किसी मोटर गाड़ी वाले से टैक्स का पैसा वसूल करते हैं तो इस उद्देश्य से वसूल करते हैं कि सड़कें जो हैं वह अच्छी हों और उनको सुविधा मिले । लेकिन आप जाइये और दिल्ली में देखिये तो ज्यादातर सड़कों की अवस्था बहुत ही दयनीय हो रही है । नई दिल्ली में तो खैर भारत सरकार का दबदबा है वहां जरा अच्छी देखभाल हो जाती है लेकिन नई दिल्ली के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि बाहर के हिस्से हैं अगर वहां आप देखेंगे तो सड़कों की बहुत दुर्व्यवस्था है । दिल्ली नगर निगम के हिस्से में आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाइये । हालत यह है कि उन की स्थिति कही नहीं जा सकती चांदनी चौक में या उसके आस पास जो हिस्से हैं वहां भी यह अवस्था है कि हर साल या दूसरे साल सड़क टूट जाती है । उस नई सड़क को फिर तोड़ कर कभी सीमेंट से बनाया जाता है कभी तारकोल से बनाया जाता है । इस तरह की अवस्था है और यहां पैसे का बहुत अधिक अपव्यय होता है ।

12 hrs.

मेरा निवेदन है कि जो बाहर की बस्तियां हैं, जो अभी थोड़े दिनों से आबाद हुई हैं, जिन में विस्थापित भाइयों की बस्तियां हैं वहां जो भी सड़कें जाती हैं उनकी अवस्था बहुत खराब है । जितनी भी बाहर की बस्तियां है आप चाहें लाजपत नगर को ले लीजिये चाहे दक्षिण दिल्ली की बस्तियों को ले लीजिए, अथवा दूसरे को ले लीजिये, सब की एक सी हालत है ।

माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि टैक्स तो आप वसूल करते हैं वह पैसे भी भी आप देते हैं, लेकिन जिस मद में पैसे दिये जाते हैं उसका सदुपयोग होना ही चाहिये । मंत्री महोदय हमें इस बात का आश्वासन दिलायें कि जो पैसा वह वसूल करते हैं इसके लिये कि सड़कों की ठीक देखभाल की जायेगी, वह काम जरूर होगा ।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री यशपाल सिंह जी ने और श्री नवल प्रभाकर जी ने राजधानी में सड़कों की अवस्था के बारे में कुछ कहा है । मैं यह मानता हूं कि बरसात के बाद विशेषत: राजधानी में और दूसरी जगहों पर सड़कों की अवस्था कुछ गिर जाती है । मैं यह भी मानता हूं कि सड़कों की देख भाल करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । उन्होंने रिंग रोड का हवाला दिया । वह नई सड़क है और नई सड़क का यह कायदा है, और यह मानी हुई बात है, कि जहां नई सड़क बनती है उस के जमने में कुछ समय लगता है । जब तक एक या दो बरसात नहीं निकल जाती तब तक उस को पक्का नहीं मानते, जब तक टार का कोट उस पर खूब जम नहीं जाता तब तक उस को पक्का नहीं मानते । इस का एक कारण यह भी है कि हम अपनी सड़कों को मशीनों से नहीं बनाते । अगर हम सड़कों को मशीनों से बनायें, मशीनों से जमायें और उस के बाद उन पर जिसे कालीन कहा जाता है, कारपेट कहा जाता है वह भी मशीनों से लगायें तो निश्चय

ही यह कठिनाई न आये । लेकिन मशीनें हमारे पास इतनी नहीं हैं । साथ ही जब हम मशीनें लाते हैं तो मानव को वहां से हटना पड़ता है। मशीन लगायेंगे तो मानव हार जायेगा । इसलिये मानव की रोजी का सवाल है । लेकिन इस में कई गुत्थियां उलझी होने पर भी मैं यह नहीं कहता कि सड़कों की अवस्था सुधारी न जाये ।

मैं कह सकता हूं कि आज पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली की सड़कों की अवस्था ज्यादा अच्छी है । जो पुरानी दिल्ली की सड़कें हैं वह जो हमारा चुना हुआ कारपोरेशन है उस के प्रबन्ध और शासन के अन्तर्गत आती हैं । वह अपनी कोशिश करता है और उस के साधनों में जितना कुछ हो सकता है वह करने की चेष्टा करता है ।

जहां तक राजस्थान के बारे में कहा गया कि राजस्थान के जो मोटर चालक आते हैं उनको सुख सुविधा नहीं मिलती । मेरा कहना यह है कि जो आवश्यकतायें उन की हैं, उन को पूरी करने की चेष्टा म्यूनिसिपैलिटी वाले करते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं टैक्स उन्हीं से लिया जाता है जो दिल्ली में रजिस्टर होते हैं । उन को ही रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है, मोटर वेहिकल टैक्स देना पड़ता है । बाहर से आने वालों को कोई छोटा मोटा टैक्स देना पड़ता हो वह बात अलग है, जैसे कि आक्ट्राय वगैरह के सिलसिले में या व्हील टैक्स के सिलसिले में, लेकिन जो मुख्य टैक्स है अर्थात मोटर वेहिकल टैक्स या रजिस्ट्रेशन टैक्स, यह दिल्ली की गाड़ियों को ही देना पड़ता है । इस तरह से जो सुख सुविधा उन को चाहिये वह उन को मिलती है । उस से ज्यादा मिले इस की जैसे कोई आवश्यकता प्रतीत होगी वैसी व्यवस्था की जावेगी । राजस्थान के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं । राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रकार से श्री जसवन्तराज जी यहां बैठे हैं । दूसरे लोग भी हैं जो राजस्थान का काफी हित चिन्तन कर सकते हैं । आप राजस्थान में चले जायें । वहां पर जितनी आवश्यकतायें सड़कों की है वह यहां पर राजस्थान के मोटर चालकों को नहीं मालूम हैं । लेकिन आज राजस्थान के लोगों को आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पूरे हथियार दिये जायें, उन को पूरी तरह मुसल्लाह किया जाये जिस से वह देश की सीमाओं की रक्षा पूरी तरह कर सकें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकें मैं समझता हूं कि आज राजस्थान अपनी पुरानी परम्परा के अनुसार चलेगा और फिर से दिखलायेगा कि राजस्थान के राजस्थानियों में वही वीरत्व की भावना मौजूद है । राजस्थान की ओर से देश के लोग बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं । वह पाकिस्तान का डट कर मुकाबला करेंगे ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को तो भुला दिया ।

श्री राज बहादुर : मैं सारे देश को नहीं भूला हूं । राजस्थान की चर्चा आ गई इस लिये राजस्थान के बारे में कह दिया ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को स्वीकार किया जाये ।

Mr. Speaker: The question is:

> "That the Bill to amend the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: There are no amendments.

The question is:

> "That clauses 1 to 3, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 to 3, the Encting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Raj Bahadur: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.07 hrs.

DETENTION OF MEMBER

(Shri Badrudduja)

Mr. Speaker: I have just received the following intimation from the Superintendent, Alipore Special Jail, Calcutta:

> "I beg to state that Syed Badrudduja, M.P., was admitted to this Jail on 10th September, 1965 under 30 of the Defence of India Rules, 1962, and being treated as a Division I Undertrial prisoner."

12.07½ hrs.

DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): I beg to move*:

> "That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954, be taken into consideration."

The Delhi Land Reforms Act, 1954, came into force in the Union Territory of Delhi on 20th July, 1964. Under sec. 150 of that Act, Gaon Sabhas were constituted in the areas to which the Act applied and all common lands in the Gaon Sabhas areas, i.e. all lands whether cultivable or otherwise except those comprised in any holding or grove of private individuals, were vested in the Gaon Sabha under sec. 154 of that Act. The Gaon Sabhas were charged with the function and responsibility of seeing that the lands were not encroached upon. If these lands were encroached upon, they were to file suits against the trespassers, the land would then become vacant and again vest in the Gaon Sabhas. However, if no such suit is filed, under sec. 85 of the Act, the person who has encroached upon the Gaon Sabha land becomes a *bhumidar* or *asami* of the land as if he had been admitted to the possession of the land by the Gaon Sabha. Also when any dispute arises as regards ownership of any property vesting in the Gaon Sabha, under sec. 36 of the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, the Gaon Panchayat is empowered to decide whether to treat the property under dispute as the property of the Gaon Sabha or not. Apart from this, it is also the duty of the Gaon Sabha to be on the lookout for cases of contravention of the law by *bhumidars* and their assmis and take remedial action. For example, under sections 42 and 46 of the principal Act, the Gaon Sabha can sue for ejectment of persons who have acquired land by transfer in contravention of the law. When the transferor is ejected, the land becomes vacant. Similarly, under section 81 of the principal Act, the Gaon Sabha can sue for ejectment of their *asamis* and take remedial action. agricultural lands to non-agricultural use.

In the course of the implementation of this Act, certain deficiencies in the law have come to notice. A number of Gaon Sabhas have failed to effectively discharge their functions. A large number of encroachments on Gaon Sabha lands and transfers in contravention of the law have come to notice, and it has caused loss of revenue to the Gaon Sabha and the Government. It has, therefore, become necessary to invest the revenue authorities also with the necessary powers to supplement the efforts of the Gaon Sabhas in removing

---

*Moved with the recommendation of the President.